

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

74

संख्या सं० डी०-91/760—पंजाब अधिसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा (1) (ब) द्वारा प्रदान की गई शक्तों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल नीचे दी गई और दिये संलग्न नक्शे में दर्शाई गई अधिसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव भुर्जा के विद्यालय, जिहा करीबाबा के पास पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधिनियमित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनुवन्ध

जिहा करीबाबा के गांव भुर्जा के प्राथमिक विद्यालय के पास-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अधिसूची को द्वारा संख्या डी०(एच०)-1225/90, दिनांक 26 फरवरी, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अधिसूची

गांव पर प्रसारित बिन्दु "ए" से लेकर, यहाँ गांव छारोला की राज्य सीमा संख्या 62 की पश्चिमी सीमा रही गांव की पश्चिमी सीमा से मिलती है, उसके बाद पूर्व की ओर गांव छारोला की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु "बी" तक यहाँ गांव भुर्जा की पूर्वी सीमा से मिलती है।

उसके बाद दक्षिण की ओर गांव भुर्जा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहाँ यह गांव सिकन्दरपुर की राज्य सीमा संख्या 7 की पूर्वी सीमा से मिलती है, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव सिकन्दरपुर की राज्य सीमा संख्या 7 (नक्शा-प्राप्त की हो छोड़कर) 14, 20, 25 और 31 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु "सी" तक, जहाँ यह गांव सिकन्दरपुर की पश्चिमी सीमा से मिलती है।

उसके बाद उत्तर-पश्चिम की ओर गांव सिकन्दरपुर और सैयदपुर की दक्षिण-पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु "डी" तक यहाँ गांव सैयदपुर की पूर्वी सीमा से मिलती है।

उसके बाद उत्तर की ओर गांव सैयदपुर और भुर्जा की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहाँ यह गांव सैयदपुर की राज्य सीमा संख्या 61 की पश्चिमी सीमा से मिलती है। उसके बाद उत्तर की ओर गांव सैयदपुर की राज्य सीमा संख्या 61, 56 और 48 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु "ए" तक, यहाँ गांव सैयदपुर की पूर्वी सीमा से मिलती है।

तस्तेन सा

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 1991

JD 91/760—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) (b) of section 4 of the Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the area shown below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area, for the purposes of the said Act, namely:—

ANNEXURE

Schedule of boundaries of the controlled area around Primary School village Bhurja, District Faridabad to be read with the Drawing No, D.T. (F) 1225/90, dated 26th February, 1990.

HARYANA GOVT GAZ (EXTRA.), JAN. 28, 1991 (MAGHIA 8, 1912 SAKA)

North: Starting from point 'A' marked on the plan i.e. where the Western boundary of revenue rectangle No. 62 of village Chhaprola meets the Southern boundary of the same village thence towards East along the Southern boundary of village Chhaprola upto point 'B' i.e. where it meets the Eastern village boundary of village Bhurja.

East: Thence towards South along the Eastern boundary of village Bhurja upto the point where it meets the Eastern boundary of revenue rectangle No. 7 of village Sikandarpur, further towards South along the Eastern boundary of revenue rectangle No. 7 (excluding village abadi), 14, 20, 25 and 31 of village Sikandarpur upto point 'C' where it meets the Southern boundary of village Sikandarpur.

South: Thence towards North-West along the South-Western boundaries of village Sikandarpur and Saidpur upto point 'D' i.e. where it meets the Eastern boundary of village Dahlika.

West: Thence towards North along the Western boundaries of village Saidpur and Bhurja upto the point where it meets the Western boundary of revenue rectangle No. 61 of village Kalwaka. Thence towards North along the Western boundary of revenue rectangle No. 61, 62 and 48 of village Kalwaka upto point 'A' i.e. the point of start.

TARSEM LAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.